रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 73] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 4, 1972/माघ 15, 1893

No. 73] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 4, 1972/MAGHA, 15, 1893

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT. OF INDIA

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 4th February, 1972

S.O. 96(E).—Whereas an election is required to be held by sub-section (4) of section 17 of the North-Eastern Area (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), to elect a representative from the Tura (ST) Parliamentary Constituency in the State of Meghalaya as if the seat of the member elected to the House of the People from that constituency has become vacant;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section (149) of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby calls upon the said constituency to elect before the 17th March, 1972, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person who is a member of any of the Scheduled Tribe to fill the said seat.

[No. 464/MEG/HP/72(1).]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1972

एस० ओ० 96(अ).—यतः, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 17 की उपधारा 4 द्वारा मेघालय राज्य में तुरा (अ ज जा) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से एक

प्रतिनिधि का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचन किया जाना अपेक्षित है, मानो उस निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्य का स्थान रिक्त हो गया हो ;

अतः, अब, लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन क्षेत्र से एतद्द्वारा यह अपेक्षा करता है कि वह उक्त स्थान को भरने के लिए 17 मार्च, 1972 से पूर्व, उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक ऐसा व्यक्ति निर्वाचित करे जो किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो।

[सं० 464/मेघा०-लो० स०/72 (1)]

S.O. 97(E).—In pursuance of the provisions of section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, with respect to the election to be held in 2-Tura (ST) Parliamentary Constituency in the State of Meghalaya in pursuance of its notification No. 464/MEG-HP/72(1), dated the 4th February, 1972 :—

(a) the 11th February, 1972 (Friday), as the last date for making nominations;

(b) the 12th February, 1972 (Saturday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 14th February, 1972 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 9th March, 1972 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 17th March, 1972 (Friday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 464/Meg/HP/72(2).]

एस० ओ० 97(अ)—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के उपबन्धों के अनुसरणों में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 464/मेघा० लो० स०/72 (1) तारीख 4 फरवरी, 1972, के अनुसरण में मेघालय राज्य में 2–तुरा (अ ज जा) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होने वाले निर्वाचन के बारे में—

(क) नामनिर्देशन के लिए अन्तिम तारीख .	11 फरवरी, 1972 (शुक्रवार);
(ख) नामनिर्देशन की संवीक्षा की तारीख –	12 फरवरी, 1972 (शनिवार) ;
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख –	14 फरवरी, 1972 (सोमवार) ;
(घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हो – तो मतदान होगा	9 मार्च, 1972 (बृहस्पतिवार); तथा
(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त – कर दिया जाएगा ।	17 मार्च, 1972 (शुक्रवार)

को एतद्द्वारा नियत करता है।

[सं० 464/मेघा० लो० स०/72 (2)]

S.O. 98(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes the hours from 7 A.M. to 5 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the House of the People from Tura (ST) Parliamentary Constituency, to be held in pursuance of its notification No. 464/MEG-HP/72(1), dated the 4th February, 1972.

[No. 464/MEG-HP/72(3).]

By order,

K. S. RAJAGOPALAN, Secy.

एस० आ० 98 (अ)—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 464/मेघा, लो० स०/72(1), तारीख 4 फरवरी, 1972 के अनुसरण में, 2—तुरा (अजजा) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 7-00 बजे पूर्वाह्न से 5-00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान होगा।

[सं० 464/मेघा० लो० स०/72 (3)]

आदेश से,

के० एस० राजगोपालन, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972